



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005



क्रमांक:एफ 1/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/रालोसेआ/2018

दिनांक: 14.03.2018

::आदेश::

राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राज., जयपुर के पत्र क्रमांक प.1 (6)प्र.सु./अनु.-3/2017 दिनांक 08.02.2018 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-II, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में उत्तीर्ण निम्नांकित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर अस्थाई आधार पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक 14600/-रूपये प्रतिमाह पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में की जाती है। तत्पश्चात् परिवीक्षाधीन अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के पे-मेट्रिक्स लेवल-5 के अनुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) का प्रारम्भिक वेतन तथा नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	जन्मतिथि	रोल नं.	मेरिट नं.	पदस्थापन स्थान
1.	श्री श्याम सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह नरुका, पता-नागल सुमेर सिंह पोस्ट मण्डावर तह.महवा, जिला दौसा-321609	05.09.1995	171613	310(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, दौसा
2.	श्री सोहल शर्मा पुत्र श्री महेश कुमार शर्मा पता-124, शांति कुंज, वार्ड नं. 34, नौखा जिला बीकानेर-334803	09.03.1990	250609	322(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर
3.	श्री आकाश कुमार सिंघल पुत्र श्री सुरेश चन्द सिंघल पता-प्रेम जनरल स्टोर मैन मार्केट, भुसावर, भरतपुर	27.03.1995	167996	374(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, भरतपुर
4.	श्री कुदन सिंह पुत्र श्री डूंग सिंह पता-इन्दों की ढाणी, ग्रा.पो.मीकमकोर, तह. औसियां, जोधपुर-342303	15.01.1995	655658	536(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर
5.	श्री मनीष वैष्णव पुत्र श्री हरी प्रसाद वैष्णव पता-मुख्य बाजार, बड़ी पोल के सामने, मु.प्रो.गगराना, तह. मेडता सिटी, जिला नागौर-341510	03.07.1994	752545	545(पिछडा वर्ग)	जिला उद्योग केन्द्र, चुरु



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005



6.	श्री राकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुर्जर पता-ग्रा.पो.सुन्दरपूरा तह. कोठपूतली, जिला जयपुर-303108	23.09.1989	223218	771(एसबी)	मुख्यालय, जयपुर
7.	श्री रवि दक पुत्र श्री चान्दमल दक पता-स्टेशन रोड, स्वास्तिक सिनेमा के पास, गली नं. 4, कांकरोली, जिला राजसमन्द 313324	12.09.1989	783390	784(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द
8.	श्री हरीराम चौधरी पुत्र श्री प्रेमराम पता- भावाणियों की ढाणी, ग्रा. खारवा तह.गुढामालाणी जिला बाड़मेर 344031	10.10.1993	397517	886(पिछडा वर्ग)	जिला उद्योग केन्द्र, बाड़मेर
9.	श्री निलेश विजय पुत्र श्री नरेन्द्र विजय पता- 3एल54, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा	25.08.1994	719783	946(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, कोटा
10.	श्री मुरलीधर पुत्र श्री रमणलाल पता-भैरुगर की सराय के पास, मालियों का बास, फलौदी जिला जोधपुर	12.07.1994	654558	983(पिछडा वर्ग)	जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर
11.	श्री विष्णु मनोहर भातरा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद भातरा, डी-14, चन्द्रनगर, नौ दुकान, गोविन्दपुरा, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	03.08.1994	186555	1210(सामान्य)	मुख्यालय, जयपुर
12.	श्री हरेन्द्र राम पुत्र श्री भंवराराम पता-227, जोड़या, मु.पो. राबड़ियाद,तह.परबतसर, जिला नागौर 341512	01.07.1995	319533	1234(पिछडा वर्ग)	जिला उद्योग केन्द्र, नागौर
13.	श्री करण सिंह पुत्र श्री विशन सिंह पता-291, जेड.एस.बी., बी.जे. एस. कॉलोनी, जोधपुर	10.05.1991	676642	1282(सामान्य)	जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005



नियुक्ति की शर्तें:-

1. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्वधीन रहेगी।
2. यह नियुक्ति अस्थायी है। दो वर्ष की अवधि के लिए अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन काल पर रहेंगे। परिवीक्षाकाल में वार्षिक वेतन वृद्धि एवं कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
4. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान देय नियत पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी 25565/2015 राज. राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अध्वधीन होगा।
6. अभ्यर्थी द्वारा दहेज एवं विवाह संबंधी शपथ पत्र तथा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. विभाग को संबंधित अभ्यर्थियों के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किये जाने का अधिकार होगा। कार्यग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी को 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। विभाग द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
8. कार्यग्रहण करवाते समय शैक्षणिक योग्यता, आयु (जन्मतिथि) व अन्य किसी छूट के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र/उच्च शिक्षा सहित) एवं प्रस्तुत प्रशैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर संबंधी) के प्रमाण पत्र की जांच उपस्थिति के समय मूल प्रमाण पत्रों से कर ली जावे एवं सत्य प्रतियां प्राप्त कर कार्मिक की निजी पत्रावली में रखी जावे। यदि किसी प्रमाण पत्र में कोई शंका हो तो मुख्यालय को अवगत करावें।
9. पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. अभ्यर्थी इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
11. अभ्यर्थी की जन्मतिथि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के आधार पर अंकित की गई है। जो अपरिवर्तनीय होगी।
12. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने के समय



राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005



पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
14. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाम देय होंगे।

Sh. Sethi
15/03

(कुंजी लाल मीश्रा)
आयुक्त उद्योग

क्रमांक:एफ 1/1(27)आ.उ./पीएडीअनु/नियुक्ति/सालोसेआ/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 14.03.2018

1. विशिष्ट शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, राज., जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, उद्योग (कम्प्यूटर अनुभाग), मुख्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग (संस्थापन), मुख्यालय, जयपुर/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दौसा/बीकानेर/भरतपुर/जोधपुर/चूरु/राजसमन्द/बाड़मेर/कोटा/नागौर/फलोदी को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि आपके कार्यालय में नियुक्त किये गये अभ्यर्थी के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु व अन्य किसी छूट के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने एवं नियुक्ति आदेश में अंकित शर्तों की पूर्ति करवाने के पश्चात संतुष्टि करने के बाद ही कार्यग्रहण करावें। अभ्यर्थी का राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर का मूल आवेदन पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र निजी पत्रावली में रखे जाने हेतु मूल ही संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने की सूचना आवश्यक रूप से मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित अभ्यर्थी श्री..... को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित समयवधि में संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, के यहां अपनी उपस्थिति मूल दस्तावेजों एवं वांछित शपथ पत्रों सहित प्रस्तुत करें।

14/3/2018

(एस.एस.शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग